



सम्बल

डॉ. अरविन्द कुमार पुरोहित
संस्थापक अध्यक्ष, सम्बल

पन्ना लाल जी हाकिम साहिब की हवेली, बनावतों की गली
जालप मोहल्ला, जोधपुर - 342001 (राजस्थान)
मोबाइल: +91 8290639891 (व्हाट्सऐप), 9414217745
ईमेल: purohitak2016@gmail.com |
sambalpurohit@gmail.com
वेबसाइट: sambalglobal.com

समझौता ज्ञापन (MoU)

सम्बल एंटरप्राइज़ – सम्बल एम्बेसडर (सिटी पार्टनरशिप)

अपने शहर में सम्बल एंटरप्राइज़ का प्रतिनिधित्व करें और हमारी प्रगति के साथ आगे बढ़ें।

सम्बल एम्बेसडर कार्यक्रम

सम्बल एंटरप्राइज़ का एम्बेसडर कार्यक्रम विभिन्न शहरों में संगठन की उपस्थिति और गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया गया है। सम्बल एम्बेसडर अपने क्षेत्र में एक स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और शैक्षणिक संस्थानों, कोचिंग संस्थानों तथा इच्छुक व्यक्तियों को सम्बल के उत्पादों, सेवाओं और पहलों से जोड़ने में सहयोग करता है।

एम्बेसडर स्थानीय अवसरों की पहचान करने, चर्चाओं को आगे बढ़ाने तथा बैठकों या छोटे कार्यक्रमों के आयोजन में सहायता करता है।

यह भूमिका एम्बेसडर को उसके प्रयासों से उत्पन्न व्यवसाय पर परक्राम्य (Negotiable) लाभ-वितरण व्यवस्था के माध्यम से सम्बल एंटरप्राइज़ की प्रगति में भागीदारी का अवसर प्रदान करती है।

यह समझौता ज्ञापन (MoU) **सम्बल एंटरप्राइज़** (आगे "संगठन" कहा जाएगा) और **[एम्बेसडर का नाम]** (आगे "एम्बेसडर" कहा जाएगा) के बीच किया जा रहा है।

प्रभावी तिथि: [तिथि] नियुक्त शहर/क्षेत्र: [शहर/क्षेत्र]

1. उद्देश्य

इस MoU का उद्देश्य उस भूमिका, दायित्वों और लाभ-वितरण व्यवस्था को स्पष्ट करना है जिसके अंतर्गत सम्बल एम्बेसडर नियुक्त शहर/क्षेत्र में सम्बल एंटरप्राइज़ का प्रतिनिधित्व करेगा तथा व्यापारिक गतिविधियों के विकास में सहयोग करेगा।

2. एम्बेसडर की भूमिका (परक्राम्य / Negotiable)

एम्बेसडर नियुक्त शहर/क्षेत्र में सम्बल एंटरप्राइज़ के स्थानीय प्रतिनिधि और व्यवसाय विकास सहयोगी के रूप में कार्य करेगा।

मुख्य दायित्व निम्न होंगे:

- सम्बल एंटरप्राइज़ की गतिविधियों और पहलों का प्रचार करना
 - संभावित ग्राहकों, भागीदारों, निवेशकों या सहयोगियों की पहचान करना
 - शैक्षणिक संस्थानों और कोचिंग संस्थानों से संपर्क कर सम्बल के उत्पादों और सेवाओं का प्रचार करना
-

3. लाभ-वितरण / प्रॉफिट शेयरिंग (परक्राम्य / Negotiable)

एम्बेसडर को उन व्यवसायों या परियोजनाओं पर लाभ-वितरण का अधिकार होगा जो उसके प्रत्यक्ष प्रयासों से उत्पन्न हों।

संभावित संरचना (प्रत्येक मामले में अलग से तय की जाएगी):

- एम्बेसडर द्वारा उत्पन्न या विकसित किए गए प्रोजेक्ट/व्यवसाय के **शुद्ध लाभ का 5% से 15% तक** हिस्सा।
 - यह हिस्सा केवल उन्हीं परियोजनाओं पर लागू होगा जिनमें एम्बेसडर की महत्वपूर्ण भूमिका रही हो (जैसे अवसर लाना, संपर्क स्थापित करना या परियोजना को आगे बढ़ाना)।
 - लाभ का भुगतान सामान्यतः परियोजना पूर्ण होने के बाद या निर्धारित वित्तीय अंतरालों पर किया जाएगा।
-

4. संबंध की प्रकृति

- एम्बेसडर सम्बल एंटरप्राइज़ का कर्मचारी नहीं होगा।
- एम्बेसडर एक स्वतंत्र व्यवसाय सहयोगी या प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा।

- यह MoU किसी प्रकार का रोजगार अनुबंध नहीं माना जाएगा।
-

5. नैतिक आचरण

एम्बेसडर निम्न बातों का पालन करेगा:

- सम्बल एंटरप्राइज़ का प्रतिनिधित्व ईमानदारी और पेशेवर तरीके से करना
 - ऐसी किसी गतिविधि से बचना जो संगठन की प्रतिष्ठा को हानि पहुँचा सकती हो
 - सम्बल से जुड़े सभी व्यावसायिक व्यवहारों में पारदर्शिता बनाए रखना
-

6. समीक्षा और समाप्ति

इस MoU की समय-समय पर समीक्षा की जा सकती है।

यदि किसी भी पक्ष को लगे कि सहयोग आगे जारी रखना उपयुक्त नहीं है, तो **30 दिन की लिखित सूचना** देकर इस समझौते को समाप्त किया जा सकता है।

7. स्वीकृति

नीचे हस्ताक्षर करके दोनों पक्ष इस MoU की शर्तों को समझने और स्वीकार करने की पुष्टि करते हैं।

संगठन प्रतिनिधि

नाम: _____

पद: _____

हस्ताक्षर: _____

तिथि: _____

सम्बल एम्बेसडर

नाम: _____

शहर: _____

हस्ताक्षर: _____

तिथि: _____